पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 1426/अका./का.प./2007 रायपुर, दिनांक : 12.07.2007

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.06.2007 को कुलपति डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11 बजे प्रारंभ हुई ।

सर्वप्रथम कुलपति जी ने कार्यपरिषद के नवनियुक्त सदस्य – प्रो. शिव कुमार मिश्र, प्रो. उषा दुबे, डॉ.(श्रीमती) जयलक्ष्मी ठाकुर, प्रो. बी.एन. शर्मा, डॉ. शलभ तिवारी एवं डॉ. सतीश केकरे का स्वागत किया । इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. ओ.पी. वर्मा	–	सदस्य
3.	डॉ. एम.एम. हम्बर्डे	–	सदस्य
4.	श्री रमेश नैयर	–	सदस्य
5.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
6.	प्रो. आर.के. गुप्ता	–	सदस्य
7.	प्रो. शिव कुमार मिश्र	–	सदस्य
8.	प्रो. उषा दुबे	–	सदस्य
9.	प्रो. बी.एन. शर्मा	–	सदस्य
10.	डॉ. (श्रीमती) जयलक्ष्मी ठाकुर	–	सदस्य
11.	डॉ. शलभ तिवारी	–	सदस्य
12.	डॉ. सतीश केकरे	–	सदस्य
13.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त

समन्वय समिति की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.06.2007 को सायं 4:00 बजे आयोजित होने के कारण कार्यपरिषद की पूर्व निर्धारित बैठक दिनांक 11.06.2007 को स्थगित कर दिनांक 26.06.2007 को आयोजित किया गया । सम्बन्धित बैठक में नवीन अध्यादेश क्रमांक 175, 176, 170 एवं अन्य प्रमुख मुद्दे विचारार्थ कार्यसूची में शामिल किया गया था । समन्वय समिति की स्थायी समिति की बैठक में की गई अनुशंसा समन्वय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है । सत्र प्रारंभ हो चुका था, संबंधित अध्यादेश का अनुमोदन भी आवश्यक था, अतः छात्रहित को ध्यान में रखते हुए कुलपति जी ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(4) के अंतर्गत कार्यपरिषद की ओर से सम्बन्धित अध्यादेश (जो दिनांक 11.06.2007 की बैठक की कार्यसूची में था) का अनुमोदन किया तथा समन्वय समिति की स्थायी समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसे कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.06.2007 में सूचना ग्रहण करने एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत की गई ।

1. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.04.2007 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि प्रदान की गई ।

2. पांच वर्षीय पाठ्यक्रम (आनर्स कोर्स) नवीन अध्यादेश क्रमांक–175 कुलपति द्वारा किये गये अनुमोदन की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय : कार्यपरिषद के सभी सदस्यों (प्रो. ओ.पी. वर्मा, कुलाधिसचिव को छोड़कर, जिनकी असहमति संलग्न है) ने सर्वसम्मति से नवीन अध्यादेश क्रमांक–175 का कुलपति द्वारा लिए गये निर्णय की संस्तुति करते हुए सूचना ग्रहण किया एवं कार्यपरिषद के सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि आनर्स पाठ्यक्रमों के प्रत्येक विषय में पूर्व निर्धारित 05 सीट में 03 सीट की वृद्धि करते हुए कुल 08 सीटें निर्धारित करने का अनुमोदन किया गया ।

3. "बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड आर्थोटिक्स" पाठ्यक्रम के नवीन अध्यादेश क्रमांक–176 का कुलपति द्वारा किये गये अनुमोदन की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय : कार्यपरिषद के सभी सदस्यों (प्रो. ओ.पी. वर्मा, कुलाधिसचिव को छोड़कर, जिनकी असहमति संलग्न है) ने सर्वसम्मति से नवीन अध्यादेश कमांक–176 का कुलपति द्वारा लिए गये निर्णय की संस्तुति करते हुए सूचना ग्रहण किया।

4. विश्वविद्यालय में अध्ययनशालाओं में सेमेस्टर परीक्षा के नवीन अध्यादेश–170 का कुलपति द्वारा किये गये अनुमोदन की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय : कार्यपरिषद के सभी सदस्यों (प्रो. ओ.पी. वर्मा, कुलाधिसचिव को छोड़कर, जिनकी असहमति संलग्न है) ने सर्वसम्मति से नवीन अध्यादेश कमांक--170 का कुलपति द्वारा लिए गये निर्णय की संस्तुति करते हुए सूचना ग्रहण किया।

5. विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.06.2007 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय : अनुमोदन प्रदान किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि जिन महाविद्यालयों ने परिनियम 28 का पालन नहीं किया है उन्हें प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाय तथा नये पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दिया जावे ।

6. जिन महाविद्यालयों में परिनियम–28 के अंतर्गत प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई है, उन महाविद्यालयें में प्रथम वर्ष में प्रवेश देने पर रोक लगाने का प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय : परिनियम 28 का पालन नहीं करने वाले 38 महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित करने संबंधी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया ।

7. "सिटीजन फोरम फार आनेस्टी एंड जस्टिस" की शिकायत पर विचार करना ।

निर्णय : कार्यवृत्त के पद कमांक–6 का निर्णय इन पर भी प्रभावशील है ।

8. श्री गौरव अग्निहोत्री, शोध छात्र, रसायन शास्त्र की पी–एच.डी. की मौखिक परीक्षा आयोजित करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय : मौखिक परीक्षक के लिए हवाई यात्रा की स्वीकृति दी गई ।

9. 78 पी–एच.डी. शोधार्थियों की सूची कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय : कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया ।

10. वर्ष 2006–07 की परीक्षा हेतु अनुचित साधन समिति यू.एफ.एम. में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की ओर से कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के तहत सदस्यों का मनोनयन किया गया है –

(1) प्रो. आर.एन. मिश्र, आचार्य एवं अध्यक्ष, इतिहास अध्ययनशाला

(2) डॉ. आर.पी. दास, आचार्य एवं अध्यक्ष, प्रबंधन संस्थान

(3) डॉ. प्रमोद शर्मा, रीडर एवं अध्यक्ष, समाजशास्त्र अध्ययनशाला

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

उक्त अनुमोदन की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय : सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया ।

11. महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि लागू किये जाने की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई ।

12. श्रीमती प्रीति सतपथी, एल.एल.एम. भाग–एक प्रथम सेमेस्टर, अप्रेल 2006 के पुनर्मूल्यांकन परिणाम पर विचार करना ।

निर्णय : आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

13. 37 छात्र/छात्राओं के विलम्ब से प्राप्त लघुशोध प्रबंध विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत करने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई ।

14. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरूद के नाम परिवर्तन की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय : शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरूद का परिवर्तित नाम संत गुरूघासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरूद करने हेतु अनुमोदन किया गया तथा सभी दस्तावेजों में परिवर्तित नाम अंकित किये जाय ।

15. डॉ. संजय तिवारी, रीडर, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यू.के. में उच्च शिक्षा हेतु दिनांक 09.04.2007 से 15.03.2008 तक अध्ययन अवकाश स्वीकृति की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय : कार्यपरिषद के सभी सदस्यों (प्रो. ओ.पी. वर्मा, कुलाधिसचिव को छोड़कर, जिनकी असहमति संलग्न है) ने सर्वसम्मति से कुलपति द्वारा लिए गये निर्णय की संस्तुति करते हुए सूचना ग्रहण किया।

16. कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर को गृहविज्ञान विषय में शोधकेन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय : अनुमोदन प्रदान किया गया ।

17. डॉ. किरण दुखु, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, फिजियोलाजी विभाग, शास. चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय : डॉ. किरण दुखु, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, फिजियोलाजी विभाग, शास. चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर को 5 वर्ष के लिए परीक्षा कार्य से वंचित किया गया एवं आगामी कार्यवाही हेतु शासन को सूचित किया जावे ।

18. उत्तर–पुस्तिका एवं पर्ण के अंकों में अंतर पाये जाने पर संबंधित प्राध्यापकों के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय : निम्नलिखित परीक्षकों को 5 वर्ष के लिए परीक्षा कार्य से वंचित किया जाय –

1. डॉ. जी.डी.एस. पोटाई, शासकीय महाविद्याल, कांकेर,
2. डॉ. के.आर. सिंह, शास. महाविद्यालय, भिलाई–3,
3. डॉ. बी.पी. त्रिपाठी, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
4. डॉ. जे.एन. पाण्डेय, इलाहाबाद

19. विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के निराकरण के संबंध में विचार करना ।

निर्णय : कर्मचारियों का प्रतिनिधिमण्डल कार्यपरिषद की बैठक प्रारंभ होने के पूर्व लंबित अभ्यावेदन के निराकरण के संदर्भ में कार्यपरिषद सदस्यों से मिले, जिस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लंबित अभ्यावेदन का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार पाँच सदस्यीय समिति का गठन करने का अनुमोदन किया गया –

1. प्रो. आर.के. गुप्ता, सदस्य कार्यपरिषद
2. प्रो. मुकुन्द हम्बर्डे, सदस्य कार्यपरिषद
3. प्रो. उषा दुबे, सदस्य कार्यपरिषद
4. प्रो. जयलक्ष्मी ठाकुर, सदस्य कार्यपरिषद
5. प्रो. बी.एन. शर्मा, सदस्य कार्यपरिषद

20. विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.06.2007 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय : स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.06.2007 का कार्यपरिषद के सभी सदस्यों (प्रो. ओ.पी. वर्मा, कुलाधिसचिव को छोड़कर, जिनकी असहमति संलग्न है) ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

21. नवीन विनियम क्र. 120 "डॉ. वी.जी. वैद्य गोल्ड मेडल" को अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय : अनुमोदन प्रदान किया गया ।

22. लेखा अधिकारी पद पर तदर्थ पदोन्नति/पदस्थापना के संबंध में विचार करना ।

निर्णय : विषय कमांक–19 में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे ।

23. अध्यादेश कमांक–169 "बी.एस–सी. आडियोलाजी एंड स्पीच पैथालाजी" पाठ्यकम के नाम परिवर्तन बाबत ।

निर्णय : "बी.एस–सी. आडियोलाजी एंड स्पीच पैथालाजी" पर विचार किया गया । निर्णय लिया गया कि इसका नाम परिवर्तित कर "बैचलर ऑफ आडियोलाजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलाजी" (बी.ए.एस.एल.पी.) किये जाने का अनुमोदन किया गया ।

24. डॉ. चितरंजन कर एवं डॉ. के.एल. वर्मा के निर्देशन में अंग्रेजी विषय के लिए पंजीकृत शोधार्थियों के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय : कार्यपरिषद के सभी सदस्यों (प्रो. ओ.पी. वर्मा, कुलाधिसचिव को छोड़कर, जिनकी असहमति संलग्न है) द्वारा सर्वसम्मति से अंतर्विषयी शोध को बढ़ावा देने हेतु शोध प्रक्रिया के संबंध में अध्यादेश कमांक–45 का मंतव्य निम्नानुसार मान्य हुआ –

(1) शोध निर्देशक विषय से संबंधित होगा ।

(2) अनुशांगिक विषय से संबंधित निर्देशक, सह–निर्देशक होगा ।

(3) जिन प्रकरणों में शोध–ग्रंथ जमा हो चुकी है, उसे विशेष प्रकरण मानते हुए आगामी कार्यवाही के लिए अनुमोदन किया गया ।

25. श्री विकास सिंह के आवेदन पर विचार करना।

निर्णय : विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.06.2007 के निर्णयानुसार कार्यवाही किया जावे । कार्यपरिषद के सभी सदस्यों (प्रो. ओ.पी. वर्मा, कुलाधिसचिव को छोड़कर, जिनकी असहमति संलग्न है) ने अनुमोदन किया ।

26. स्पोर्टस् ट्रैक ग्राउण्ड के बगल में बाउण्ड्री वॉल के निर्माण के लिए रू. 1,65,750/– का कार्यादेश राशि की स्वीकृति सूचनार्थ कार्यपरिषद को प्रस्तुत है । साथ ही उस ओर से बेजा कब्जा न हो 525 मीटर लंबाई की बाउण्ड्री वॉल जिस पर कुल लागत रू. 8,70,147/– प्राक्कलित है, माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत ।

निर्णय : कुलपतिजी ने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि बाउण्ड्री वाल का निर्माण केम्पस में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के लिए कार्यपरिषद की स्वीकृति पर कराया जा रहा है । कार्यपरिषद की बैठक वर्ष 2003 में परिसर के निकट स्थित एक संस्था को अनाधिकृत रूप से विश्वविद्यालय के सड़कों को भारी वाहनों द्वारा आने–जाने में होने वाले नुकसान के कारण सड़क संधारण हेतु अनुपातिक अंशदान निर्धारित किया गया था, बाउण्ड्री निर्माण प्रगति पर होने के कारण संस्था द्वारा वर्ष 2005 की संधारण राशि उन्हें लौटाकर व्यक्तिगत सूचित किया गया था कि विश्वविद्यालय केम्पस के सभी दिशाओं में बाउण्ड्री निर्माण प्रगति पर है और चूंकि अब उनके संस्था तक पहुंच के लिए रिंग रोड कमांक–(1) एवं महोबाबाजार से निर्मित हो चुका है, का उपयोग वे कर सकते हैं । सभी सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही, आपात कार्य हेतु बाउण्ड्री निर्माण हेतु कुलपति द्वारा प्रदत्त स्वीकृति रू. 1,65,750/– का अनुमोदन कर, कुल कार्य की प्राक्कलन राशि रू. 8,70,147/– की स्वीकृति प्रदान कर इस संबंध में विस्तृत विवरण कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत कराये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

27. विश्वविद्यालय के इण्डोमेन्ट फण्ड में निवेश के संबंध में विचार करना ।

निर्णय : कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई ।

28. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के परिसर में वृक्षारोपण हेतु वन मण्डलाधिकारी, अनुसंधान/विस्तार (सावा), वनमण्डल, रायपुर द्वारा 1170 रनिंग मीटर वृक्षारोपण के लिए कुल लागत रू. 6.40 लाख व्यय का अनुमान पर विचार करना ।

निर्णय : नगर के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण हेतु वन मण्डलाधिकारी, अनुसंधान/विस्तार (सावा), वन मंण्डल, रायपुर का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस हेतु रू. 6.40 लाख (प्रथम वर्ष के लिए रू. 2.90 लाख, दूसरे वर्ष के लिए 1.80 लाख एवं तीसरे वर्ष के लिए रू. 1.70 लाख) का व्यय स्वीकृत किया गया।

29. 'इण्डो–चाइना एलायन्स सेन्टर'' के तत्वावधान में शैक्षणिक भ्रमण दल, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का भ्रमण निरस्त होने के फलस्वरूप निरस्तीकृत व्यय रू. 2,42,770/– की स्वीकृति पर विचार करना ।

निर्णय : उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक 45/30 शि./07 दिनांक 14/5/2007 के परिप्रेक्ष्य में शासन से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति होने की प्रत्याशा में प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। किसी कारणवश भ्रमण–दल नहीं जा सका । संबंधित एजेन्सी ने निरस्तीकरण व्यय रू. 2,42,770/– की मांग की है । चूंकि यह कार्य शासन से व्यय प्रतिपूर्ति होने की प्रत्याशा में अनुमोदन किया गया था, अतः निरस्तीकरण व्यय राशि रू. 2,42,770/– की प्रतिपूर्ति हेतु शासन को पत्र लिखा जावे ।

30. वर्ष 2006 कम्प्यूटरीकृत उपाधियों के जाँचकर्ता के रूप में कार्य सहायकों को अधिकृत किये जाने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय : कम्प्यूटरीकृत उपाधि की जाँच शिक्षकों द्वारा की जाएगी, इस हेतु रू. 2.00 प्रति उपाधि पारिश्रमिक निर्धारित किया गया ।

31. कर्मचारियों के विभिन्न कार्यों के पारिश्रमिक की दर में वृद्धि किये जाने के प्रकरण पर विचार करना ।

क.	देयक विवरण	वर्तमान दर (प्रति छात्र)	प्रस्तावित दर
1.	गणक पत्र लेखन	0.25	0.50
2.	गणक पत्र जाँच	0.15	0.30
3.	अंकसूची लेखन	0.35	0.70
4.	अंकसूची जाँच	0.25	0.50
5.	परीक्षा आवेदन पत्र जाँच	0.35	0.70
6.	कम्प्यूटर रोल लिस्ट जाँच	0.35	0.70
7.	उपाधि लेखन (दोनों भाषा में)	1.50	3.00
8.	उपाधि जाँच (प्रत्येक जाँचकर्ता)	0.35	1.00
9.	नामांकन प्रपत्रों की जाँच	0.30	0.60
10	अंकसूची हस्ताक्षर	0.10	0.50
11	परीक्षा शुल्क प्रमाणीकरण (लेखन एवं जाँच)	0.60	1.00
12	चतुर्थ श्रेणी @45/- प्रति हजार आवेदनपत्र	0.45	1.00

निर्णय : उपर्युक्त कार्यों का प्रस्तावित पारिश्रमिक दर अनुमोदित किया गया ।

32. प्राचार्य पद पर परिनियम 28 के तहत नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसा पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय : (1) चयन समिति ने एम.जे. कॉलेज, भिलाई, दिशा कॉलेज, न्यूशांति नगर, रायपुर, सर्वहितकारिणी विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कुकदा, पलारी एवं भिलाई नायर समाजम महाविद्यालय, भिलाई में परिनियम–28 के तहत प्राचार्य पद हेतु योग्य उम्मीदवार नहीं पाये जाने के कारण नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की, अतः महाविद्यालयों को प्राचार्य पद को पुनः विज्ञापित करने हेतु निर्देश देने का निर्णय लिया गया ।

(2) रामचण्डी महाविद्यालय, सरायपाली में चयन समिति की अनुशंसानुसार प्राचार्य पद हेतु श्री एन.के. भोई के नाम का अनुमोदन किया गया ।

33. डॉ. एच.व्ही. तिवारी द्वारा परिसर स्थित आवास में बिना अनुमति के रहने के कारण उनसे रू. 3,11,760/– पैनल रेन्ट वसूली करने के सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई ।

34. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का आवासीय विश्वविद्यालय के साथ–साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता के संबंध में श्री रमेश नैयर, सदस्य कार्यपरिषद के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना ।

निर्णय : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित प्रदेश के सर्वाधिक पुराने विश्वविद्यालय (पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय) को आवासीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्वरूप दिया जाय, ताकि राष्ट्रीय शैक्षिक स्तर पर इस राज्य के शोधार्थियों/ विद्यार्थियों को विभिन्न निकायों के अद्यतन ज्ञान का समुचित लाभ मिल सके । इस विश्वविद्यालय को आवासीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने के साथ ही सम्बद्ध महाविद्यालयों के संचालन हेतु रायपुर में एक नया विश्वविद्यालय, जो सम्बद्धता प्रदान करे, स्थापित किया जाय ।

35. बैठक में कुलपति जी ने कार्यपरिषद की ओर से प्रो. ओ.पी. वर्मा, कुलाधिसचिव के कार्यों एवं कार्यपरिषद में सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया एवं उनके स्थान पर प्रो. ए.आर. चन्द्राकर को कुलाधिसचिव नियुक्त करने का प्रस्ताव सदस्यों के समक्ष रखा।

निर्णय : सर्वसम्मति से कुलपति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

कुलपति

कुलसचिव

पृ.कमांक : 1427/अका./का.प./2007 रायपुर, दिनांक : 12.07.2007

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को, इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर कुलसचिव को सूचित करने का कष्ट करें ।
3. जनसंपर्क अधिकारी/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/विभागीय अधिकारी,
4 वित्ताधिकारी/आवासीय अंकेक्षक,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/7/07

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

ओमप्रकाश वर्मा
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
क्षेत्रीय अध्ययनशाला
एवं कुलाधिसचिव

दिनांक : 26.06.2007

प्रति,

कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर

विषय : दिनांक 26 जून, 2007 के कार्यपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के विरूद्ध आपत्तियाँ दर्ज कराने विषयक ।

...

दिनांक 26 जून, 2007 को कार्यपरिषद की बैठक में कार्यपरिषद द्वारा लिए जाने वाले कुछ निर्णयों में मैंने अपनी आपत्तियाँ दर्ज करायी थी उसे कुलपतिजी ने लिखित रूप में देने के लिए कहा था । उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा आपत्तियाँ निम्नानुसार दर्ज की जाए –

(1) विषय सूची की कंडिका 2, 3 एवं 4 में

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 38(i) के तहत अध्यादेश कार्यपरिषद के द्वारा बनाये जाते हैं परन्तु कुलपति जी द्वारा कंडिका 2, 3 एवं 4 में उल्लिखित अध्यादेश – 175, 176 तथा 170 का स्वयं अनुमोदन कर कार्यपरिषद में केवल सूचना ग्रहण करने के लिए रखा गया । इस प्रकार उपरोक्त अध्यादेश बनाने में धारा 38(i) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है । यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(4) में भी अध्यादेश, परिनियम तथा विनियम के संशोधन हेतु कुलपति को अधिकार नहीं दिये गये है । जब कुलपति को संशोधन का ही अधिकार नहीं दिया गया है तब स्पष्ट है कि उन्हें अध्यादेश बनाने की अनुमति भी नहीं है । अतः कुलपतिजी का यह कार्य विश्वविद्यालय अधिनियम 38(i) एवं 15(4) का उल्लंघन हैं अतः विषयसूची की कंडिका 2, 3 एवं 4 का कुलपतिजी के द्वारा अनुमोदन आपत्तिजनक है।

(2) विषयसूची की कंडिका 15 में कुलपति जी ने परिनियम क्रमांक 31 की कंडिका 49(b)(i) का उल्लंघन करके अवकाश स्वीकृत किया है जिसे सूचनार्थ कार्यपरिषद में रखा गया है । कंडिका 15 में ही इस बात का उल्लेख है कि उनके कार्यकाल में पूर्व में भी इस परिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करके अवकाश स्वीकृत किया गया है । इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा बार–बार परिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की जा रही है। यह आपत्तिजनक है । यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शिक्षकों को उच्च शिक्षा हेतु अवकाश देने का विरोध नहीं कर रहा हूँ । यदि परिनियम में वैसा प्रावधान नहीं है तो परिनियम संशोधित करके वैसा प्रावधान बनाना चाहिए पर बिना परिनियम संशोधित किए परिनियमों के प्रावधान का उल्लंघन आपत्तिजनक है ।

अध्यक्ष की अनुमति से रखे जाने वाले निम्न प्रकरणों पर आपत्ति है –

(1) कंडिका 1 में विद्या परिषद की स्थायी समिति की दिनांक 25.06.2007 की बैठक का अनुमोदन कार्यपरिषद ने किया है । स्थायी समिति के कार्यवृत्त की कंडिका 3 में अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के ऐसे शोधकेन्द्रों को जिसकी मान्यता कार्यपरिषद से नहीं है उन्हें भी विशेष प्रकरण मानकर मान्यता देने की अनुशंसा की गयी है और कार्यपरिषद द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया है । कार्यपरिषद का यह निर्णय नियम विरूद्ध है क्योंकि –

(a) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना के प
इन अभियांत्रिकी महाविद्यालयों से रविशंकर विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार समाप्त हो
है और आज की स्थिति में जब वे हमारे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं है, उन्हें मान्य
ही नहीं जा सकती ।

(b) शोध केन्द्रों को मान्यता देने हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
विनियम (रेगुलेशन) 107 में एक विशिष्ट प्रकिया का प्रावधान है । कार्यपरिषद के
बैठक की मूल विषयसूची की कंडिका 16 में कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, देवेन्द्र
को शोधकेन्द्र के रूप में मान्यता देने का प्रकरण है । उक्त महाविद्यालय को विनियम
के अनुसार दिये गये प्रकिया का पालन करना पड़ा है । परन्तु विशेष प्रकरण मानते
अभियांत्रिकी महाविद्यालय(यों) को विनियम कमांक 107 के प्रावधानों के विपरीत मा
दिया जाना कार्यपरिषद के अधिकार क्षेत्र के बाहर है तथा यह आपत्तिजनक है ।

(2) स्थायी समिति के उपरोक्त कार्यवृत्त की कंडिका 3 में ही यह निर्णय लिया गय
कि भविष्य में शोध उपाधि समिति की बैठक की तिथि से शोधछात्रों का पंजीयन म
जाए। कार्यपरिषद द्वारा इसकी स्वीकृति अध्यादेश 45(4) के प्रावधानों के अनुकूल नहीं
अध्यादेश 45(4) में शोध पंजीयन शोध छात्र द्वारा आवेदन की तिथि से या पंजीयन शु
पटाने की तिथि से मान्य किया गया है ।

(3) स्थायी समिति की कंडिका 3 में ही यह निर्णय लिया गया है कि अध्यादेश कम
45(5) के तहत जो छात्र जिस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारण किये हुए है उसे उ
विषय में पी–एच.डी. दी जाए । जबकि अध्यादेश 45(5) के परन्तुक में अन्तर्विषयी शोधक
की अनुमति है तथा छात्र का जिस विषय में शोध पंजीयन होगा उसी में उसे पी–एच
की उपाधि दिया जाना चाहिए । अतः यह निर्णय भी अध्यादेश के प्रावधानों के विपरीत है

(4) कंडिका 5 में डॉ. चितरंजन कर एवं डॉ. के.एल. वर्मा के अंग्रेजी के अध्यापन
सम्बन्ध में गलत जानकारी दी गयी है कि ये दोनों शिक्षकों को अंग्रेजी के अध्यापन
अनुभव नहीं है जबकि वे विगत कई वर्षों से अंग्रेजी विषय का अध्यापन कर रहे हैं ।

(5) कंडिका 10 में 'इन्डो चाइना एलायन्स सेन्टर' द्वारा आयोजित शैक्षणिक भ्रमण हे
राशि रू. 8.10 लाख का आहरण बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति और बजट प्रावधान
बिना किया गया है जो आपत्तिजनक है । उसी प्रकार भ्रमण निरस्त होने के फलस्वरू
प्रतिपूर्ति हेतु राशि रू. 2,42,770/– की स्वीकृति भी विधि मान्य नहीं है । इस स्वीकृति प
मेरा आपत्ति है । वस्तुतः इस पूरे प्रकरण की समीक्षा कर उत्तरदायित्व का निर्धारण किय
जाना चाहिए था ।

(6) कार्यपरिषद की मुख्य विषय सूची एवं अध्यक्ष की अनुमति से रखे जाने वाले प्रकरणे
के समाप्त होने के उपरान्त बैठक की समाप्ति के पूर्व अचानक कुलपति द्वारा मुझे रेक्टर
पद से हटाने का प्रस्ताव रखा गया जिसका विधिसम्मत नहीं होने के कारण मेरे द्वारा
आपत्ति की गयी और इस सम्बन्ध में मैं पृथक से कुलाधिपति को अभ्यावेदन कर रहा हूँ ।

ओमप्रकाश वर्मा